झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

विज्ञापन संख्या–2411 राँची, दिनांक–06/10/2020

झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।

केन्द्र सरकार द्वारा भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जिसके आलोक में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार की स्थापना की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम तहत् भू–संपदा नियामक प्राधिकार गठित किया गया है, जिसके द्वारा भू–संपदा क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं विनियमित करने, भू–खंड, अपार्टमेन्ट अथवा भवन, भू–संपदा प्रोजेक्ट की बिक्री पारदर्शी तरीके से करने के साथ–साथ उपभोक्ताओं की अभिरूचि/हितों को अनुरक्षित करने का लक्ष्य है।

3. उपरोक्त क्रम में झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ता एवं अनुभव प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र०	पद का नाम	पद की संख्या	अहर्त्ताएँ
1	सदस्य	01	1. निम्नांकित प्रक्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का पर्याप्त ज्ञान एवं व्यवसायिक अनुभव :– नगर विकास, हाउसिंग, भू–संपदा विकास, अवसंरचना, आर्थिक, संबंधित प्रक्षेत्र से तकनीकी विशेषज्ञ, नियोजन, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, प्रबंधन, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों अथवा प्रशासन। 2. वैसे व्यक्ति ही जो राज्य सरकार की सेवा में सचिव अथवा प्रधान सचिव के पद पर हों या रहे हों अथवा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में उपरोक्त पदों के समकक्ष पद पर हों या रहे हों, सदस्य के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे।

4. सदस्य की नियुक्ति 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक की आयु, जो पहले हो, के लिए होगी तथा पुनर्नियुक्ति अनुमान्य नहीं होगी।

5. प्राधिकार के सदस्य के वेतन एवं भत्ते :–

5.1 प्राधिकार के सदस्य का वेतन एवं भत्ते निम्नवत् प्रकार से देय होंगे–

5.1.1 सदस्य का मासिक समेकित वेतन राज्य सरकार के प्रधान सचिव के समतुल्य होगा।

5.2 महंगाई भत्ते एवं शहर प्रतिपूरक भत्ते–

प्राधिकार के सदस्य के लिए महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते वही मान्य होंगे जो अनुमान्य दर पर राज्य सरकार के प्रधान सचिव के लिए देय होंगे।

5.2.1 सदस्य अपनी नियुक्ति के समय यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हों तो उन्हें वेतन, सेवा काल के अंतिम माह के प्राप्त वेतन से पेंशन की कुल राशि (रूपान्तरित भाग सहित) घटाकर भुगतान किया जायेगा।

Scanned by TapScanner

5.3 छुट्टी/चिकित्सा सुविधाएँ/आवास/यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्ते झारखंड भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2017 के अनुसार देय होंगे।

6. सदस्य के लिए वेतन एवं अन्य सेवा शर्त्तें भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के अनुरूप होंगी।

7. झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु सूचनाएं समर्पित करने के लिए विहित प्रपत्र :

नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	वेतनमान	वर्त्तमान वेतन	प्राप्त पेंशन की राशि	संस्थान, जहाँ पूर्व में कार्यरत रहे हैं	अनुभव
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है तथा कोई वित्तीय अथवा अन्य रूचि नहीं है जो प्राधिकार के सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के कुशल संचालन हेतु भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्त्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थानः–.....

हस्ताक्षर

दिनांक–.....

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू–संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट–www.udhd.jharkhand.gov.in एवं झारखंड भू–संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट–jharera.jharkhand.gov.in पर देखी जा सकती है।

06/10/20

(चन्दन कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2411 राँची, दिनांक-06/10/2020

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

06/10/

सरकार के अवर सचिव।

Scanned by TapScanner